(9)

पत्र संख्या– वन भूमि–15/2016–4001 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड राँची।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 23 / 08 / 2016

विषय :– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोडरमा जिला के मौजा–परतांगों के खाता नं0–20, प्लॉट नं0–02, रकबा (25.11 एकड़) 10.16 हे0 क्षेत्र में पत्थर खनन् पट्टा की स्वीकृति हेतु सर्वश्री रामचन्द्र मेहता, मनोज कुमार मेहता, अमिताभ कुमार के पक्ष में वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–544 दिनांक–10.05.2016 एवं पत्रांक–562 दिनांक–13.05.2016 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र तथा प्रस्ताव के पार्ट–II में यह उल्लिखित है कि प्रस्तावित स्थल कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी से 5.44 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है।

कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के लिए अभी तक Eco-Sensitive Zone की अधिसूचना निर्गत नही हुई है। ज्ञातव्य हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में Eco-Sensitive Zone का निर्धारण नहीं होने तक इसकी सीमा 10 कि0मी0 रखी गयी है। उक्त स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित वनभूमि कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के Eco-Sensitive Zone के अन्तर्गत अवस्थित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची द्वारा कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी का Eco-Sensitive Zone घोषित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। Eco-Sensitive Zone के अन्तर्गत ऐसे कार्य जो Prohibited, Regulated & permitted हैं, की सूची संलग्न है। जिसके अनुसार Eco-Sensitive Zone के अन्तर्गत वाणिज्यिक खनन को Prohibited श्रेणी में रखा गया है।

एक तरफ विभाग द्वारा वाणिज्यिक खनन को Prohibited कार्यो की श्रेणी में रखा गया है, जबकि दूसरी तरफ Eco-Sensitive Zone में वाणिज्यिक खनन (Commercial Mining) के लिए वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव भेजा गया है, दोनो में विरोधाभाष है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट करने की कृपा की जाय कि यह परियोजना अगर Eco-Sensitive Zone में आता है, तो प्रस्ताव की अनुशंसा क्यों की गई ?

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/8

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

o/c

Vijay /vanvumi| 342